



# पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर-332001)

टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572-273100

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक:-7752

दिनांक:- 27.04.2018

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालय,  
सीकर तथा झुन्झुनूं।

विषय:- स्नातक एवं स्नातकोत्तर की प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करवाने व प्रायोगिक परीक्षक पैनल प्राप्त करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रायोगिक विषयों की प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 25.05.2018 तक सम्पन्न करवायी जानी अनिवार्य है। अतः प्रायोगिक परीक्षक पैनल संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं अथवा पत्रवाहक के द्वारा अपना अधिकृत पत्र भिजवाकर विश्वविद्यालय के कमरा नंबर-4 में दिनांक 30.04.2018 से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

## आवश्यक दिशा-निर्देश:-

1. प्रायोगिक परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित बाह्य परीक्षक द्वारा अपनी उपस्थिति में ही सम्पन्न करवाना अनिवार्य है।
2. बाह्य परीक्षक द्वारा लिखित में असहमति जाहिर करने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा बाह्य परीक्षक पैनल में परिवर्तन किया जाना संभव होगा।
3. प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक बैच की मौखिक परीक्षा CCTV कैमरे की निगरानी में करवाई जाकर, Batch Wise Recording की DVD बाह्य परीक्षक के माध्यम से विश्वविद्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा।
4. प्रायोगिक विषयों के प्रत्येक बैच के अंक परीक्षा सम्पन्न होते ही तत्काल ऑनलाईन Submit करना अनिवार्य है।
5. ऑनलाईन Submit करने के पश्चात अवार्ड्स की हार्डकॉपी बाह्य एवं आन्तरिक परीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर, संबंधित महाविद्यालय सीलबंद पैकेट्स में अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
6. विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर अवार्ड्स सुपुर्द करने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।
7. महाविद्यालय प्राचार्य संबंधित बाह्य परीक्षक का पारिश्रमिक बिल प्रमाणित कर, Batch Wise Recording की DVD के साथ उन्हे (संबंधित बाह्य परीक्षक को) सुपुर्द करेंगे।
8. संबंधित बाह्य परीक्षक (बाह्य परीक्षक को आवंटित समस्त महाविद्यालय) अपने पारिश्रमिक बिल मय आधार कार्ड एवं PAN कार्ड की प्रतिलिपि, पैनल प्रतिलिपि तथा अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजों के विश्वविद्यालय को एक बार में ही भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

नोट:- प्राचार्य अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं हो। बाह्य परीक्षक या महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में परीक्षार्थियों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली को गम्भीरता से लिया जाकर, नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

कुलसचिव

दिनांक:-27.04.2018

क्रमांक:-7752

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति सचिवालय।
2. परीक्षा शाखा।
3. समस्त संबंधित बाह्य परीक्षक।
4. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव